भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3531

दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जाना

3531. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कि सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल प्रदान करने की योजना है;
(ख) आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में अब तक कितनी पंचायतों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जा चुका है; और
(ग) आने वाले वर्षों में आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में वर्ष–वार कितने–कितने पंचायतों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जी, हाँ। सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने की योजना बना रही है।
(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 12920 ग्राम पंचायतों में से 12460 ग्राम पंचायतों को सुरक्षित पेयजल प्रदान किया गया है।
तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 8695 ग्राम पंचायतों में से 7518 ग्राम पंचायतों को सुरक्षित पेयजल प्रदान किया गया है।
(ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन शेष 460 ग्राम पंचायतों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिन्हें सुरक्षित पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है। इन सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2019 तक कवर किया जाना प्रस्तावित है।
तेलंगाना सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शेष 1177 ग्राम पंचायतों को एनआरडीडब्ल्यूपी तथा राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रम मिशन भागीरथ के अंतर्गत आगामी वर्ष अर्थात् 2017-18 में कवर किया जाएगा।